भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 496
जिसका उत्तर शुक्रवार, 9 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है

सिविल और आपराधिक मामले का निपटान

496. श्री धनुष एम. कुमार :

श्री सी.एन.अन्नादुरई श्रीमती मंजुलता मंडल :

श्री गजानन कीर्तिकर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों द्वारा सिविल और आपराधिक प्रकृति के कितने लंबित मामलों को लिया गया और निपटाया गया है ;

(ख) न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान करते समय सरकार को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है ;

(ग) क्या उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की तुलना में अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या अधिक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इतनी बड़ी संख्या में मामलों के लंबित रहने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या खराब बुनियादी ढांचा धीमी गति से न्याय मिलने का एक मुख्य कारण हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में अधीनस्थ न्यायालयों के बुनियादी ढाँचे में सुधार के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या प्रयास किये गए हैं ;

(ङ) तमिलनाडु सहित देश के अधीनस्थ न्यायालयों में मामलों के निपटान में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है ; और

(च) देश में लोगों के लिए न्याय के त्वरित परिदान और न्यायिक प्रणाली में सुधार सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है ?

उत्तर
विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : उच्चतम न्यायाल, उच्च न्यायालयों और निचले न्यायालयों द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विचार किए गए और निपटान किए गए लंबित, सिविल और दांडिक मामलों की संख्या उपाबंध-1 पर है ।

(ख) : न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है । संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान के के लिए कोई समय सीमा विहित नहीं की गई है । केन्द्रीय सरकार की लंबित मामलों के निपटान में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती है ।

(ग) : उच्चतम न्यायाल, उच्च न्यायालयों और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या निम्नानुसार है:-

न्यायालय का नाम	लंबित मामलों की संख्या
उच्चतम न्यायालय (तारीख 01.12.2022 तक)	69,598
उच्च न्यायालय (तारीख 06.12.2022 तक)	59,57,704
जिला और अधीनस्थ न्यायालय (तारीख 06.12.2022 तक)	4,28,21,378

ऊपर यथा उपदर्शित जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में मामलों की भारी लंबित संख्या के लिए अनेक कारण हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की पर्याप्त संख्या की उपलब्धता, सहयोगी न्यायालय कर्मचारिवृन्द और भौतिक अवसंरचना, बारंबार स्थगन और सुनवाई के लिए मामलों को मानीटर करने, उनका पता लगाने और एकत्रित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव, अंतर्वलित तथ्यों की जटीलता, साक्ष्य की प्रवृत्ति, पणधारियों अर्थात् विधिज्ञ, अन्वेषण, अभिकरणों, साक्षियों और मुकदमे लढने वाले व्यक्तियों का सहयोग तथा नियमों और प्रक्रियाओं का उचित लागू होना, भी है ।

(घ) : न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों में निहित होती है । राज्य सरकारों के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए संघ सरकार केन्द्र और राज्यों के बीच विहित निधि भाजन पैटर्न में राज्यों सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करके न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम को कार्यान्वित करती रही है । स्कीम वर्ष 1993-1994 से कार्यान्वित की जा रही है । इसके अंतर्गत जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवनों और निवास स्थानों का संनिर्माण आता है । 24,989 की स्वीकृत पद संख्या और 9,235 न्यायाधीशों/ न्यायिक अधिकारियों की कार्यरत पद संख्या के मुकाबले में तारीख 30.11.2022 तक 21,159 न्यायालय हाल तथा 18,557 आवासीय इकाइयां उपलब्ध हैं ।

स्कीम आरंभ किए जाने के समय से अब तक इसके अधीन तारीख 30.11.2022 तक 9,291.79 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है, जिसमें से 5,847.48 करोड़ रुपए (62.93 %) वर्ष 2014-2015 से जारी की गई है । स्कीम को वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक विस्तारित किया गया है, जिसमें 5307.00 करोड़ रुपए के केन्द्रीय शेयर सहित 9000 करोड़ रुपए का बजटीय परिव्यय अंतर्वलित है । न्यायालया हालों और आवासीय क्वॉटरों के संनिर्माण के अतिरिक्त अब स्कीम के अंतर्गत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में वकीलों के हालों, डिजिटल कम्प्यूटर कक्षों और प्रसाधन परिसरों का संनिर्माण भी हैं । स्कीम के अंतर्गत न्यायालयों के लिए ऐसे संन्नियम और विनिर्देश भी आते हैं, जो राज्य सरकारों को यह सुझाव देते हैं कि वे दिव्यांग अनुकूल के लिए विद्यमान मानकों का अनुपालन करें ।

(ङ) और (च) : सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के तीव्र निपटान के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का उपबंध करने के लिए अनेक पहलें की हैं ।

राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधान मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में की गई थी जिसमें प्रणाली में विलंबों और बकाया मामलों की संख्या को कम करके तथा संरचनात्मक परिर्वनों के माध्यम से जवाबदेही को बढ़ाकर तथा निष्पादन मानकों और क्षमताओं को तय करके पहुंच को बढ़ाने के दोहरे उद्देश्य हैं । मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया मामलों तथा लंबित मामलों की संख्या के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, कम्प्यूटरीकण, अधीनस्थ न्यायपालिका की पद संख्या में वृद्धि, अत्याधीक मुकदमा संभावित क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय, मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुन:इंजीनियरी तथा मानव संसाधन विकास पर बल सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना अंतर्वलित है ।

विभिन्न पहलों के अधीन पिछले आठ वर्षों के दौरान मुख्य कदम उठाए गए हैं जो निम्नप्रकार हैं:

(i) <u>जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार:-</u> 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आज की तारीख तक 9291.79 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं । इस स्कीम के अधीन न्यायालय हालों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से तारीख 30.11.2022 तक बढ़कर 21,159 हो चुकी है और तारीख 30.06.2014 को आवासीय इकाईयों की संख्या 10,211 से बढ़कर तारीख 30.06.2022 तक 18,557 हो चुकी है । इसके अतिरिक्त 2,673 न्यायालय हाल और 1,662 आवासी इकाईयां (न्याय विकास पोर्टल के अनुसार) निर्माणाधीन हैं । न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम को 9,000 करोड़ रु.की कुल लागत पर 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें से केंद्रीय हिस्सा 5,307 करोड़ रु. होगा । न्यायालय हॉल और आवासीय इकाइयों के निर्माण के अतिरिक्त, इसमें वकील हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर रूम का निर्माण भी सम्मिलित होगा। 21159 न्यायालय हॉल और 18557 आवासीय ईकाईयां इस योजना के अधीन उपलब्ध हैं । 2673 न्यायालय हॉल 1662 आवासीय ईकाईयां इस परियोजना के चलते निर्माणाधीन हैं।

(ii) <u>सुधार की गई न्याय के परिदान के लिए सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी (आई सी टी) का प्रभावन</u> :- सरकार ने जिला औऱ अधीनस्थ न्यायालयों को परिचालन योग्य बनाने के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी के लिए संपूर्ण देश में ई-न्यायालय मिशन पद्धति परियोजना को क्रियान्वित किया है। अब तक कम्प्यूटरीकृत जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या बढ़कर 18,735 हो गई है। 99.3% न्यायालय परिसरों को वैन की संयोजिता प्रदान की गई है। मामला सूचना सॉफ्टवेयर के नए और प्रयोक्ता-अनुकूलन पार्ट को विकसित किया गया है और सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में नियोजित किया गया है । सभी पणधारी जिसके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी है, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) कंम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/विनिश्चयों से संबंधी जानकारी तक पहुंच बना सकते हैं । 01.12.2022 तक, वादकारी इन न्यायालयों से संबंधित 21.74 करोड़ से अधिक मामलों की प्रास्थिति और 19.80 करोड़ आदेश/निर्णय तक पहुँच बना सकते हैं। ई-न्यायालय सेवाएं, जैसे वादकारीयों

और अधिवक्ताओं के लिए सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों में ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश एण्ड पुल सर्विस में ई न्यायालय पोर्टल ,न्यायिक सेवा केन्द्रों (जेएससी) के माध्यम से ई-न्यायालय सेवाऐं, जैसे मामला रजिस्टर करने, मामला सूची, मामले की प्रास्थिति, दैनिक आदेशों और अंतिम निर्णयों के ब्यौरे उपलब्ध हैं । वीडिओ कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से 3240 न्यायालय परिसर तथा 1272 तत्स्थानी कारावासों को समर्थ बनाया गया है ।कोविड- 19 चुनौतियों को बेहतर तरीके से संभालने और वर्चुअल सुनवाई को सुचारू बनाने के उद्देश्य से, निर्णय/आदेश प्राप्त करने, जानकारी और ई फाइलिंग प्रसुविधा से संबंधित न्यायालय/मामले प्राप्त करने से सहायता की आवश्यकता के लिए वकीलों और वादकारियों को न्यायालय परिसरों में 619 ई-सेवा केंद्रों की स्थापना की गई है ।वर्चुअल सुनवाई को सुकर बनाने के लिए विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केबिन में उपस्कर प्रदान करने के लिए 5.01रु. करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। विभिन्न न्यायालय परिसरों में ई फाइलिंग के लिए 1732 हेल्प डेस्क काउंटरों को 12.12 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

17 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों अर्थात दिल्ली (2), हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल और राजस्थान में यातायात अपराधों को कम करने की कोशिश करने के लिए 21 वर्चुअल न्यायालय स्थापित किए गए हैं। 03.03.2022 तक, इन न्यायालयों ने 1.69 करोड़ से अधिक मामलों को संभाला है और 271.48 करोड़ रुपए के जुर्माना से अधिक की वसूली की है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान न्यायालयों के मुख्य आधार के रूप में उभरा क्योंकि भौतिक सुनवाई और सामूहिक मोड में सामान्य न्यायालय की कार्यवाही संभव नहीं थी। जब से कोविड लॉकडाउन शुरू हुआ, जिला न्यायालयों ने 1,65,20,791 मामलों की सुनवाई की, जबकि उच्च न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके 31.10.2022 तक 75,80,347 मामलों (कुल 2.41 करोड़) की सुनवाई की। 31.09.2022 तक लॉकडाउन अवधि से उच्चतम न्यायालय में 97,435 सुनवाई हुई।

(iii) <u>उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त पदों को भरना</u> :- 01.05.2014 से 05.12.2022 तक उच्चतम न्यायालय में 46 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी । उच्च न्यायालयों में 853 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए तथा 621 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए। मई 2014 में उच्च न्यायालयों की स्वीकृत संख्या 906 से वर्तमान में बढ़कर 1108 हो गई । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या में निम्नानुसार वृद्धि की गई है :

निम्नलिखित तारीख तक	स्वीकृत संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
06.12.2022	24,994	19205

अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों का भरा जाना संबद्ध राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर आता है ।

(iv) बकाया समिति द्वारा अपनाए गए/उसके माध्यम से लंबित मामलों में कमी : अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों को निपटाने के लिए उच्च न्यायालय समितियां स्थापित की गई हैं। जिला न्यायाधीशों के अधीन भी बकाया मामला समितियों की स्थापना की गई है। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए कदम विरचित करने के लिए एक बकाया मामला समिति का गठन किया है। पूर्व में, विधि और न्याय मंत्री ने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के साथ पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों पर ध्यान आकर्षित करने और लंबित मामलों को कम करने का अभियान चलाने के लिए मामला उठाया है। विभाग ने मलीमथ समिति रिपोर्ट के बकाया उन्मूलन स्कीम मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन पर सभी उच्च न्यायालयों द्वारा रिपोर्टिंग के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है।

(v) अनुकल्पी विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर :- वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (तारीख 20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित) वाणिज्यिक विवादों के बाध्यकारी पूर्व मध्यकता और निपटारे के लिए अनुबद्ध किया गया है । विहित की गई समय-सीमा द्वारा विवादों के शीघ्र समाधान को तेज करने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के द्वारा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन किए गए है ।

(vi) <u>विशेष प्रकार के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए पहल :-</u> चौदहवें वित्त आयोग ने सरकार के राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के प्रस्ताव का समर्थन किया था जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना करने से है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि से संबंधित मामले सम्मिलित हैं तथा राज्य सरकारों को ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बढे हुए कर न्यागमन 32% से 42% वृद्धि करने के प्ररूप में उपबंधं करने के लिए अतिरिक्त राजकोषीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया है। 31.05.2022 की स्थिति के अनुसार जघन्य अपराधों, महिलाओं और बालकों आदि के विरूद्ध अपराधों के लिए 838 त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहे हैं। निर्वाचित संसद् सदस्यों/विधानसभा सदस्यों से संबंधित दांडिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए दस (10) विशेष न्यायालय नौ (09) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में एक प्रत्येक और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में दो) स्थापित किए गए हैं। सरकार ने भारतीय दंड संहिता, के अधीन बलात्संग तथा पाक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संपूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक स्कीम का और अनुमोदन किया है । अब तक 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस स्कीम में जोडा गया है । स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-2020 में 140 करोड रुपए जारी किए गए थे तथा वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान 160 करोड रुपए जारी किए गए है और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 134.557 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं तथा अक्टूबर, 2022 तक वित्तीय वर्ष के दौरान 53.55 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं । 731 एफटीएससी वर्तमान में 412 अनन्य पॉक्सो न्यायालयों सहित कार्य कर रहे हैं, जिसमें 31.10.2022 तक 1,24,000 मामलों का निपटारा किया गया।

(vii) इसके अतिरिक्त, लंबितता कम करने और न्यायालयों को मुक्त करने के लिए सरकार ने हाल ही में विभिन्न विधियां जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय

(संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 और दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 को संशोधित किया है ।

(viii) लोक अदालत आम लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण अनुकल्पि विवाद समाधान तंत्र है । यह ऐसा मंच है जहां न्यायालय में या मुकदमा पूर्व प्रक्रम्य पर लंबित विवाद/मामलें निपटाए जाते हैं/उन पर आपस में समझौता किया जाता हैं । विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन लोक अदालत द्वारा किया गया पंचाट सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में समझा जाता है और सभी पक्षकारों पर अंतिम और आबद्धकर होता है तथा किसी न्यायालय के समक्ष उसके विरूद्ध कोई अपील नहीं होती है । न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए और मुकदमापूर्व प्रक्रम्य पर विवादों को निपटाने के लिए भी, विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा ऐसे अंतरालों पर जो वह ठीक समझे, लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं । लोक अदालत कोई स्थायी स्थापना नहीं है । तथापि, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 19 के अनुसार, लोक अदालतें आवश्यकतानुसार विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाती हैं । राष्ट्रीय लोक अदालतें पूर्व नियत तारीख को सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में साथ-साथ आयोजित की जाती हैं ।

पिछले दो वर्षों के दौरान लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों के ब्यौरे निम्नप्रकार हैं:

वर्ष	पूर्व-मुकदमेबाजी मामले	लंबित मामले	कुल संख्या
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
कुल	3,82,21,509	1,64,92,538	5,47,14,047

(ix) सरकार ने वर्ष 2017 में टेली-विधि कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जिसमें विधिक सलाह प्राप्त करने वाले जरूरतमंद और अलाभान्वित वर्गों को जोड़ने वाले प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफार्म तथा विडियों कान्फ्रेसिंग तथा टेलिफोन के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ परामर्श करने और ग्रामपंचायत में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर और टेली-विधि मोबाइल एप के माध्यम से उपलब्ध चैट सुविधाओं का उपबंध किया गया हैं ।

प्रवर्ग	जारी की गई कुल सलाह	%
अनुसूचित जाति	8,62,464	31.51%
अनुसूचित जनजाति	4,90,729	17.93%
अन्य पिछडा वर्ग	7,94,986	29.04%
महिला	9,19,389	33.59%
सामान्य	5,88,932	21.52%
30 नवंबर, 2022 तक		

(x) देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थिकरण करने के लिए प्रयास किए गए हैं । प्रौद्योगिकीय कार्य ढांचा को कार्यान्वित किया गया है जहां प्रो बोनो कार्य के लिए अधिवक्ता अपना समय और सेवाएं प्रदान करने के लिए इच्छुक हैं वहां वे न्याय बंधु (एन्ड्राइड एन्ड आईओएस और

एप्स) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं । न्याय बंधु सेवाएं भी यूएमएएनजी प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं ।

अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल राज्य स्तर पर 21 उच्च न्यायालयों में आरंभ किया गया है उदयीमान वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को उनके मन बैठाने के लिए प्रो बोनो क्लब 69 चयनित विधि विद्यालयों में आरंभ किए गए हैं ।

******

<u>उपाबंध-1</u>

<u>सिविल और अपराधिक मामलों का निपटान संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 496, जिसका उत्तर तारीख 09.12.2022 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।</u>

उच्चतम न्यायालय में लंबितता

वर्ष	वर्ष के अंत तक लंबित मामलों की संख्या		निपटाए गए मामलों की संख्या	
	सिविल	दांडिक	सिविल	दांडिक
2019	48,606	11,253	28,683	12,417
2020	52,290	12,796	14,756	5,914
2021	55,973	14,266	15,804	8,782
2022 (31.10.2022 तक)	54,840	14,941	19,365	9,744

उच्च न्यायालयों में लंबितता

वर्ष	वर्ष के अंत तक लंबित मामलों की संख्या		निपटाए गए मामलों की संख्या	
	सिविल	दांडिक	सिविल	दांडिक
2019	33,37,156	13,47,198	11,45,070	7,71,979
2020	35,13,509	14,53,456	6,12,530	5,09,343
2021	37,2,6261	15,81,586	7,63,169	6,77,853
2022 (30.09.2022 तक)	37,43,452	16,07,832	8,19,865	6,74,336

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबितता

वर्ष	वर्ष के अंत तक लंबित मामलों की संख्या		निपटाए गए मामलों की संख्या	
	सिविल	दांडिक	सिविल	दांडिक
2019	89,91,997	2,33,04,227	38,55,047	1,45,16,527
2020	99,55,186	2,73,30,556	17,09,657	74,95,227
2021	1,06,66,303	3,03,87,195	28,93,054	1,41,35,550
2022 (30.09.2022 तक)	1,06,86,169	3,21,40,608	32,46,338	1,43,77,969

****